संख्या यूओ 346/चौवालिस-1-83-171/82

प्रेषक,

श्री माता प्रसाद,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के अध्यक्ष/
प्रबन्ध निदेशकगण।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 17 नवम्बर, 1983

विषयः– सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के अधिकारियों को विभिन्न निगमों के निदेशक मण्डलों में निदेशक या स्थायी आमंत्री के रूप में रखा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का गठन वर्ष 1974 में हुआ था। इसके कार्यकलापों में अन्य बातों के अतिरिक्त सार्वजनिक उद्योग प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों सम्बन्धी सूचना संकलित करना, विभिन्न प्रतिष्ठानों की सेवायोजन नीतियों में समन्वय रखना तथा उन्हें राय देना, सरकारी उद्यम प्रतिष्ठानों से प्राप्त विवरण की विशेषज्ञ जांच करना, मूल्यांकन तथा व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन में सहायता देना आदि सम्मिलित हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों आदि को समय–समय पर मार्गदर्शन एवं निर्देश दिये जाते रहे हैं। ऐसे मार्गदर्शन एवं निर्देश बहुधा उच्च स्तरीय निर्णयों पर आधारित होते हैं। इधर काफी समय से यह अनुभव किया जाता रहा है कि शासकीय निर्देशों के अनुसार विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में किस सीमा तक शासकीय निर्देशों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है अथवा शासन के परामर्श से निर्देशों को किस सीमा तक कार्यान्वित कर रहे हैं या वह किस सीमा तक लाभान्वित हो रहे हैं, उसकी समान्यतयः कोई सूचना शासन को उपलब्ध नहीं रहती है। बहुथा ऐसे भी दृष्टान्त प्रकाश में आये हैं जबकि विभिन्न निगमों की ओर से शासन के निर्णय की अवज्ञा या अवहेलना दृष्टिगोचर हुई है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि ऐसे निगमों के निदेशक मण्डलों एवं कार्यकारियों को किन्हीं करणों से किसी बिन्दु विशेष पर शासन की नीतियों, निर्देशों एवं परामर्शों की जानकारी न रही हो।

2- उक्त पृष्ठभूमि में इस बात की आवश्यकता का अनुभव किया जाता है कि निदेशक मण्डल के परिज्ञान में शासन की विभिन्न नीतियों, निर्देशों एवं परामर्शों तथा विभिन्न शासनादेशों की भावना तथा उद्देश्य समुचित रूप से लाये जांय ताकि समस्त स्तरों पर लिये गये निर्णयों में जहां तक सम्भव एवं व्यवहारिक हो एकरुपता बनी रहे।

3- अतएव शासन ने अब तत्काल प्रभाव से यह निर्णय लिया है कि शासन के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के निदेशक मण्डलों में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ०प्र०, के प्रतिनिधि अधिकारी जहां जैसे व्यवहारिक हो स्थायी आमंत्री या निदेशक मण्डल के सदस्य के रूप में रखे जांय। यह सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के विवेक पर है कि वह सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के प्रतिनिधि अधिकारियों को स्थायी आमंत्री के रूप में निदेशक मण्डलों में चाहते हैं या निदेशक मण्डल के सदस्य के रूप में। किस सार्वजनिक उद्यम में कौन–कौन अधिकारी स्थायी आमंत्री या निदेशक मण्डल के सदस्य के रूप में रहेंगे इसके बारे में अलग से आदेश महानिदेशक ब्यूरो द्वारा प्रसारित किये जायेंगे।

4- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आप कृपया अविलम्ब महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ०प्र०, को अवगत करायें कि अपने निदेशक मण्डल में ब्यूरो के प्रतिनिधियों को स्थायी आमंत्री के रूप में चाहते हैं या निदेशक मण्डल के सदस्य के रूप में।

भवदीय,
(माता प्रसाद)
सचिव।

संख्या यूओ 346 (1)/44-83-171/82- तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/निगमों के प्रशासनिक विभागों के सचिव।
(2) राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्यमों/निगमों से सम्बन्धित प्रशासकीय अनुभाग।
(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
(सुशील कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।